

वर्षीष : आरबीआई ँकट : धारा – 7

संदर्भ

दुनयि की हर सरकार अपने देश की अर्थव्यवस्था को अपने हसिाब से चलाना चाहती है जिसका मकसद देश के आर्थिक हालात को दुरुस्त करना और उसे नई दशिा देना होता है । इसमें छोटे और मझोले उद्योगों के लयि वकिसा का रास्ता सुनशिचति करने के साथ ही बुनयिादी संरचनाओं और बड़े उद्योगों को बढ़ाने के अलावा जनता की आर्थिक स्थितिको भी ठीक करना होता है । देश में अर्थव्यवस्था के संचालन और उसे पटरी पर लाने में सरकार के साथ- साथ बैंकों का भी बहुत अहम योगदान होता है । बैंकों के संचालन और देश की आर्थिक और मौद्रिक स्थतिको अनुकूल बनाए रखने में केंद्रीय बैंक यानि रज़िर्व बैंक ऑफ इंडयिा का खास योगदान होता है । रज़िर्व बैंक न केवल देश में नोट जारी करता है बल्कि सरकार द्वारा वदिशों से लयि जाने वाले करज़ का हसिाब-कतिाब भी रखता है । इसके अलावा, रज़िर्व बैंक पर देश के सभी बैंकों का संचालन और उनके देखरेख की ज़मिमेदारी होती है । बैंकों की ब्याज दर और बैंकगि सेक्टर से जुड़ी अन्य बातों की देख-रेख भी रज़िर्व बैंक ही करता है । रज़िर्व बैंक काफी हद तक स्वायत्त होकर अपनी इन गतविधियों को अंजाम देता है । लेकिन बीते कुछ दनिों से आरबीआई ँकट की धारा-7 के इस्तेमाल पर सरकार और केंद्रीय बैंक के बीच तनाव की खबरें सुखयिों में है । आज के इस वर्षीष अंक में हम बात करेंगे आरबीआई ँकट की धारा-7 के बारे में और जानेंगे किक्या है धारा-7 का पूरा मुद्दा । इसके अलावा आरबीआई की स्थापना और कामकाज से जुड़े तथ्यों पर भी नज़र डालेंगे ।

आरबीआई अधनियिम की धारा-7 की पृष्ठभूमि

- आरबीआई ने बैंक ऑफ इंग्लैंड ँकट, 1946 तथा कॉमनवेल्थ बैंक ऑफ ऑस्ट्रेलयिा ँकट, 1945 के प्रावधानों को मलिाकर एक मसौदा तैयार कयिा था जिसमें केंद्र को आरबीआई को नरिदेश देने की शक्ति दी गई है ।
- इसमें कहा गया है कि जब सरकार आरबीआई के गवर्नर की सलाह को खलिाफ काम करने का फैसला ले ले तो उसे आरबीआई पर लागू होने वाली कार्यवाही की ज़मिमेदारी लेनी होगी ।
- हालाँकि उस समय सरकार इस प्रावधान के पक्ष में नहीं थी और इसे दुबारा तैयार कयिा गया ।
- सरकार को सार्वजनिक हति में बैंकों को नरिदेश जारी करने के लयि मज़बूत बनाने के उद्देश्य से 1949 में धारा-7 को संशोधति कयिा गया था ।
- आरबीआई अधनियिम की धारा-7 प्रबंधन से जुड़ी हुई है और आज़ाद भारत के इतिहास में इससे पहले इसका इस्तेमाल नहीं कयिा गया ।
- दरअसल, धारा-7 के तहत आरबीआई को नरिदेश दयि जाने का मामला पहली बार तब सामने आया जब इस साल की शुरुआत में इलाहाबाद उच्च न्यायालय, बजिली कंपनयिों की याचिका पर सुनवाई कर रहा था ।
- इसमें कुछ बजिली उत्पादक कंपनयिों ने आरबीआई के 12 फरवरी को जारी सर्कुलर को इलाहाबाद उच्च न्यायालय में चुनौती दी । इस सर्कुलर में डिफ़ॉल्ट हो चुके लोन को रीस्ट्रिक्चरगि स्कीम में डालने से रोका गया है ।
- आरबीआई ने जब बताया कि कानूनी तौर पर सरकार केंद्रीय बैंक को आदेश दे सकती है तो कोर्ट ने अगस्त महीने में जारी अपने आदेश में कहा कि सरकार ऐसा नरिदेश देने पर वचिर कर सकती है ।
- हाईकोर्ट ने कहा कि केंद्र सरकार को कोर्ट के फैसले में कही गई बातों को देखते हुए धारा-7 के तहत मौजूदा साक्ष्यों के आधार पर 15 दनि के अंदर आरबीआई को नरिदेश देने के बारे में सोचना चाहयि ।

क्या है आरबीआई क़ानून की धारा -7 ?

- इस धारा से ही सरकार को आरबीआई को नरिदेश जारी करने का अधिकार मलिता है ।
- दरअसल, धारा-7 प्रबंधन से संबंधति है । इस धारा में 3 उपधाराएँ हैं जनिमें इसके सभी प्रावधानों के बारे में बताया गया है ।
- जब कभी आरबीआई केंद्र सरकार के नरिदेशों का पालन नहीं करता है तो धारा-7 के तहत लिखति नरिदेश जारी कयिा जा सकता है ।
- धारा-7 (1) के अनुसार, केंद्र सरकार रज़िर्व बैंक के गवर्नर के साथ वचिर वमिर्श के बाद जनहति में समय समय पर केंद्रीय बैंक को नरिदेश जारी कर सकती है ।
- धारा-7 (2) के अनुसार, सरकार को रज़िर्व बैंक के कामकाज का संचालन उसकी केंद्रीय मंडल के नदिशक बोर्ड को देने का अधिकार देती है । इस तरह के कसिी भी दशिा-नरिदेश के बाद बैंक का काम केंद्रीय नदिशक मंडल को सौंप दयिा जाएगा । यह नदिशक मंडल बैंक की सभी शक्तयिों का उपयोग कर सकता है और रज़िर्व बैंक की ओर से कयि जाने वाले सभी कार्यों को कर सकता है ।
- धारा-7 (3) के तहत रज़िर्व बैंक के गवर्नर और उसकी अनुपस्थति में नामति डिप्टी गवर्नर की मौजूदगी में भी केंद्रीय नदिशक मंडल के पास बैंक के सामान्य मामलों और कामकाज के अधीक्षण और नरिदेशन की शक्तयिों होंगी और वह उन सभी शक्तयिों का इस्तेमाल कर पाएगा जो कि आरबीआई के

पास होती हैं।

क्या है पूरा मामला?

- केंद्र सरकार ने अब तक के इतिहास में पहली बार आरबीआई कानून की धारा 7 के तहत अपने अधिकारों का इस्तेमाल करते हुए कमज़ोर बैंकों को नकदी मुहैया कराने, छोटे और मध्यम उद्योगों को कर्रज देने और गैर-बैंकगि वित्तीय कंपनियों के लिये नकदी जैसे मुद्दों पर आरबीआई को समाधान करने को कहा है।
- इसके लिये सरकार ने आरबीआई को तीन पत्र भेजे जसमें मामले को जल्दी नपिटाने के अलावा कार्य ढाँचे में सुधार के साथ ही नकदी प्रबंधन से जुड़े अलग-अलग मुद्दे थे।
- सरकार ने आरबीआई अधिनियम की धारा-7 के तहत परामर्श भी माँगा जो कि सार्वजनिक हित के मामलों पर केंद्रीय बैंक के गवर्नर को नरिदेश जारी करने की शक्ति देती है।
- इस मामले पर वित्त मंत्रालय ने कहा कि सरकार ने आरबीआई की स्वायत्तता का सम्मान किया है और इसे बढ़ावा दिया है।
- मंत्रालय के मुताबिक, वह समय-समय पर केंद्रीय बैंक से कई मसलों पर व्यापक वचिार-वमिर्श करता है।
- मंत्रालय का मानना है कि आरबीआई और सरकार दोनों को अपनी कार्य प्रणाली में सार्वजनिक हित तथा देश की अर्थव्यवस्था की ज़रूरतों को ध्यान में रखना होता है।
- वित्त मंत्रालय ने कहा कि भारत सरकार ने वचिार-वमिर्श के वषियों को कभी भी सार्वजनिक नहीं किया है और अंतमि नरिणय को ही सार्वजनिक किया जाता है।

वित्त मंत्रालय और आरबीआई के बीच मतभेद के कारण

- दरअसल, वित्त मंत्रालय और आरबीआई के बीच मतभेद के कई कारण हैं। वित्त मंत्रालय का मानना है कि केंद्रीय बैंक सार्वजनिक क्षेत्र के कमज़ोर बैंकों का संचालन सही तरीके से नहीं कर पा रहा है। साथ ही, बाज़ार में नकदी प्रवाह की कमी को दूर करने और बजिली क्षेत्र में खराब ऋण का नपिटारा भी सही तरीके से नहीं हो पा रहा है।
- सरकार चाहती है कि संकटग्रस्त पावर सेक्टर को राहत दी जाए और उसे दविलयिा प्रक्रयिा से बाहर रखा जाए। सरकार को लगता है कि ऐसा करने से अर्थव्यवस्था को लाभ मल्लिगा।
- सरकार का मानना है कि प्रॉमप्ट करेक्टवि एक्शन (PCA) के तहत कार्यवाही के नयिमों में कुछ ढील दी जानी चाहयि ताकि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक 10000 से ज़्यादा लघु उद्योगों को और कर्रज दे सकें।
- वर्तमान में लघु उद्योगों का बुरा हाल है और पूंजी की सख्त ज़रूरत है। वहीं दूसरी तरफ, आरबीआई का मानना है कि अगर पावर सेक्टर को छूट मल्लिती है तो हर कोई यह छूट चाहेगा।
- साथ ही PCA के तहत नयिमों में ढील देने से सार्वजनिक क्षेत्र के कमज़ोर बैंक तेज़ी से छोटे उद्योगों को लोन बाटेंगे और इस तरह एक और कर्रज संकट पैदा हो जाएगा।
- इसके अलावा सरकार यह भी चाहती है कि अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिये आरबीआई ब्याज़ दरों में कटौती करे, लेकनि आरबीआई ने ब्याज़ दरों को कम करने के स्थान पर उसे और बढ़ा दिया।

सरकार और आरबीआई के बीच यह वविाद कब सामने आया?

- सरकार और आरबीआई के बीच यह वविाद तब सामने आया जब 26 अक्टूबर को आरबीआई के डपिट्टी गवर्नर वरिल आचार्य ने अपने एक बयान में रज़िर्व की स्वायत्तता को लेकर सरकार पर प्रश्न उठाया।
- उन्होंने कहा कि सरकार आरबीआई की आज्ञादी का सम्मान करे। यदविह ऐसा नहीं करेगी तो आरबीआई की नाराज़गी झेलनी पड़ेगी।
- इसके जवाब में 30 अक्टूबर को वित्त मंत्री ने आरबीआई को देश में खराब ऋण संकट के लिये ज़मिमेदार ठहराया। वित्त मंत्री ने कहा कि आरबीआई 2008 से 2014 के बीच बैंकों को मनमाना कर्रज देने से रोकने में नाकाम रहा और इसी वज़ह से बैंकगि सेक्टर में वर्तमान NPA संकट पैदा हुआ है।

आरबीआई अधिनियम, 1934 : प्रमुख धाराएँ

- बीते कुछ वनिों से आरबीआई कानून की धारा 7 सुर्खयिों में है। इस कानून में 1936 में संशोधन किया गया था जसिके ज़रयि भारत में बैंकगि फर्र्मों की देख-रेख के लिये ढाँचे की व्यवस्था की गई।
- इस अधिनियम में कुल 61 धाराएँ हैं। इनमें से कुछ महत्त्वपूर्ण धाराएँ इस प्रकार हैं-
 - धारा 3 : रज़िर्व बैंक की स्थापना और इनकॉर्पोरेशन की बात करती है।
 - धारा 4 : केंद्रीय बैंक की पूंजी के बारे में बताती है। यह उस वक्त 5 करोड़ रुपए थी।
 - धारा 8 : इसमें केंद्रीय बैंक की स्थापना का उल्लेख है।
 - धारा 17 : आरबीआई के कामकाज के बारे में वसितार से वर्णन।
 - धारा 18 : बैंकों के लिये आपातकालीन ऋण।
 - धारा 21 : भारत सरकार द्वारा बैंकगि मामलों का संचालन और सार्वजनिक ऋण का प्रबंधन।
 - धारा 22 : सरिफ आरबीआई के पास भारत में मुद्रा (नोट) जारी करने का वशिष अधिकार।

- धारा 24 : नोट का अधिकतम मूल्य 10000 रुपए तक होना ।
- धारा 42 : अनुसूचति बैंकों के नकद भंडार के बारे में ।
- धारा 45 U : रेपो, रविर्स रेपो, मनी मार्केट इस्ट्रूमेंट्स और प्रतभूतियों को परभाषति करती है ।

- आरबीआई अधिनियम 1934 की पहली अनुसूची उन 4 क्षेत्रों को परभाषति करती है जिसके तहत भारतीय राज्य आते हैं । ये चार क्षेत्र हैं- पश्चिमी, पूर्वी, उत्तरी और दक्षिणी क्षेत्र ।
- अधिनियम की दूसरी अनुसूची में भारत के सभी अनुसूचति बैंकों की सूची है ।

आरबीआई की ज़मिमेदारियाँ तथा संरचना

- केंद्रीय बैंक होने के नाते आरबीआई की अर्थव्यवस्था में काफी महत्त्वपूर्ण ज़मिमेदारी है । आरबीआई का प्रमुख कार्य भारत की मौद्रिक नीतितैयार करना उसे लागू करना और उसकी नगिरानी करना है ।
- आरबीआई खुद रटिल बैंकगि का कार्य नहीं करता है और न ही जनता से डपिँजटि लेता है । यह केंद्रीय बैंक के रूप में कार्य करता है जहाँ वाणज्यिक बैंक खाताधारक होते हैं और धन जमा कर सकते हैं ।
- आरबीआई की स्थापना हलिटन यंग आयोग की सफिरशियों के आधार पर की गई थी । इस आयोग को 1926 में गठति गया था ।
- आरबीआई का मुख्यालय शुरु में कोलकाता में स्थापति कयिा गया था जसि 1937 में स्थायी रूप से मुंबई में स्थानांतरति कर दयिा गया ।
- शुरुआत में आरबीआई नजिी स्वामतिव वाला बैंक था । अगस्त 1947 को देश को आज़ादी मलिी और 1949 में आरबीआई का राष्ट्रीयकरण हुआ । राष्ट्रीयकरण के बाद से इस पर भारत सरकार का पूर्ण स्वामतिव है ।
- आरबीआई की प्रस्तावना में बैंक के मूल कार्यों का वर्णन कयिा गया है । बैंक नोटों के मुद्दे को वनियमति करना और भारत में मौद्रिक स्थरिता के नजरयि से नोटों का भंडार बनाए रखना और देश हति में मुद्रा एवं साख प्रणाली का संचालन करना इसके मुख्य कार्य हैं । यानी आरबीआई देश की मुद्रा और क्रेडिट प्रणाली को वनियमति करने के लयि ज़मिमेदार है ।
- आरबीआई कानून की प्रस्तावना में वतित कानून 2016 के ज़रयि संशोधन कयिा गया है । इसमें कहा गया है कि मौद्रिक नीतिका मकसद ग्रोथ के उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए कीमतों में स्थरिता बनाए रखना है ।
- आरबीआई का कामकाज केंद्रीय नदिशक बोर्ड द्वारा शासति होता है । भारत सरकार आरबीआई अधिनियम के अनुसार इस बोर्ड को चार साल के लयि नयुक्ति करती है ।
- बोर्ड में पूर्णकालकि गवरनर तथा अधिकतम चार उप गवरनर होते हैं । इसके अलावा, सरकार अलग अलग क्षेत्रों से 10 नदिशक और 2 सरकारी अधिकारयिों की नयुक्ति करती है । साथ ही 4 स्थानीय बोर्डों के लयि 4 नदिशकों की भी नयुक्ति की जाती है ।
- देश के चार क्षेत्रों- मुंबई, कोलकाता, चेन्नई और दलिली में आरबीआई के स्थानीय बोर्ड हैं ।
- आरबीआई के 27 क्षेत्रीय कार्यालय और 4 उप कार्यालय हैं जनिमें से अधिकांश राज्यों की राजधानयिों में हैं ।

आरबीआई के मुख्य कार्य

- केंद्रीय बैंकगि का कार्य ।
- नोटों को जारी करने का एकाधिकार ।
- करेंसी जारी करने के साथ उसका वनियमन ।
- परचालन के योग्य नहीं रहने पर करेंसी और सकिकों को नष्ट करना ।
- वदिशी मुद्रा भंडार का संरक्षक ।
- वदिशी वनियम दरों को स्थरि रखने के लयि वदिशी मुद्रा को बेचना और खरीदना ।
- वदिशी व्यापार और भुगतान को सुवधाजनक बनाना तथा भारत में वदिशी मुद्रा बाज़ार का वकिस करना एवं उसे बनाए रखना ।
- मौद्रिक नीतितैयार करना, उसे लागू करवाना और उसकी नगिरानी करना ।
- वकिस के उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए मूल्य स्थरिता बनाए रखना ।
- साख यानी क्रेडिट का नयित्तरक ।
- वाणज्यिक बैंकों को दयि जाने वाले कार्यों को नयित्तरति करने की ज़मिमेदारी । इस उद्देश्य को पूरा करने के लयि नीतगित मौद्रिक उपायों का इस्तेमाल करना । इसमें रेपो रेट, रविर्स रेपो रेट, CRR कैश रज़िर्व रेशयि, स्टेचुटरी लकिवडिटि रेशयि (SLR) जैसे मात्रात्मक और गुणात्मक उपाय ।
- सरकार का बैंकर अर्थात् यह केंद्र और राज्य सरकारों के लयि व्यापारी बैंक की भूमकि अदा करता है ।
- वाणज्यिक बैंकों के लयि बैंकर और उनके लयि अंतमि ऋणदाता ।
- अनुसूचति बैंकों के बैंक खाते रखना ।
- गैर-मौद्रिक कार्यों के तहत बैंकों को लाइसेंस देने के साथ बैंकों की नगिरानी करना ।
- बैंकगि परचालन के लयि मानदंड नरिधारति करना जिसके तहत देश की बैंकगि और वत्तितीय प्रणाली काम करती है ।
- जमाकर्त्ताओं के हतियों की रक्षा करना और आम जनता को कफायती बैंकगि सेवाएँ उपलब्ध कराना ।
- गैर-बैंकगि वत्तितीय कंपनयिों की नगिरानी ।
- भारतीय रज़िर्व बैंक से जुड़ा एक बेहद दलिचस्प पहलू यह भी है कि हमारा केंद्रीय बैंक भारत के अलावा पाकस्तान और म्याँमार के केंद्रीय बैंक के रूप में भी काम कर चुका है ।
- यह अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में सरकार के प्रतनिधिके तौर पर काम करता है और भारत की सदस्यता का प्रतनिधित्व करता है ।

नषिकर्ष

सरकार और आरबीआई के बीच गतरौध पर अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष ने कहा है कविह आरबीआई और सरकार के बीच चल रहे मामलों पर नगिरानी बनाए हुए है । IMF ने कहा है कविह पूरी दुनिया में केंद्रीय बैंकों की स्वायत्तता का समर्थन करता है ।

हालाँकि सरकार और आरबीआई में वविाद नई बात नहीं है । इनके बीच पहले भी कई मौकों पर वभिन्न मुद्दों को लेकर मतभेद देखा गया है । आमतौर पर ब्याज़ दर, बैंकगि में तरलता और प्रबंधन को लेकर इनके अलग-अलग वचार रहे हैं लेकिन अंततः वविाद सुलझा लयिे जाते हैं । उम्मीद है कइस वविाद को भी सुलझा लयिा जाएगा ।

PDF Referenece URL: <https://www.drishtias.com/hindi/printpdf/rbi-act-section-7>

